न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 268 / 2013

उनवान

1. भैरू लाल पिता हरलाल जाट निवासी पोटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के
प्रकरण संख्या 132 / 2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.8.2013

अभिभाषक : 1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 27.06.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को राजस्थान भू अलोटमेण्ट ऑफ लैण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल्स के अन्तर्गत राजस्थान राज्य की ओर से प्रसारित नियम 1969

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के नियम 12 ए के तहत 5 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी हैसियत से दिनांक 15.6.1993 को चाह निर्माण हेतु आवंटित की गई। माफिक आदेश वादी द्वारा नियमन शुल्क 2500/—रूपये राजस्थान सरकार के कोष में जमा करा दिये और आवंटन गैर खातेदारी अधिकार सहित 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया । उक्त 10 वर्ष की अवधि गुजर जाने के बाद वादी स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता हैं। उक्त आवंटित रकबे के साबिक आराजी नम्बर 3773 रकबा 113 बीघा 17 बिस्वा में से 5 बिस्वा रकबा आवंटित किया जाकर इन्तकाल नम्बर 620 दिनांक 7.12.1993 से वादी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी गई। जिसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2042 से 2045 में दिनांक 30. 12.93 को किया गया तभी से वादी आराजी नम्बर 3773 मीन में से 5 बिस्वा आराजी चाह रकबा का गैर खातेदार काश्तकार के रूप में उपयोग—उप भोग कर रहा है। मौके पर हजारों रूपये खर्च कर वादी ने कुए को पक्का बंधवाया है। वादी उक्त कुए से ही अपनी खातेदारी की आराजी की पिलाई कर रहा है इस बाबत वादी ने पम्पींग सेट लगाकर पाईप लाईन भी बिछाई है। उक्त चाह को पुराने राजस्व नक्शे में चिन्हित भी किया गया है। अचानक दिनांक 30.10.2000 को राजस्थान राज्य की ओर से चाह को रायथलियास बांध में पीने के पानी रिजर्व रखने के आधार पर मुझ वाद को पम्प सेट से अपने स्वामित्व के चाह से पानी ले जाकर सिंचाई बन्द करने की धमकी दे डाली । तथा पानी चोरी करने का मुकदमा लगाने एवं पम्प सेट जब्त करने की भी धमकी दी गई। जिस पर वादी ने एक प्रार्थना पत्र सिविल जज साहब, न्यायालय गंगापुर में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसे अस्वीकार किया गया । जिसकी अपील प्रतिवादीगण ने जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत की । जिस पर प्रकरण अपर जिला न्यायालय संख्या 1 , भीलवाडा को अन्तरित किया गया । उक्त अपील दिनांक 20.8.2002 को स्वीकार की गई एवं राजस्थान राज्य के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया । राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आदेश की अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में की गई जो खारिज की गई। इस प्रकार वादी के पक्ष में चाह के स्वामित्व के आधार पर राजस्व रेकार्ड में आवंटित चाह की भूमि का अंकन किया जावे। भू प्रबन्ध के बाद उक्त चाह के नवीन नम्बर कायम नहीं किये गये है परन्तु पुराने नक्शे में पुराने आराजी नम्बर 3773 मीन की पूर्वी मेड पर चाह को चिन्हित किया गया है । उसी आधार पर नये नम्बर कायम किये जाकर वादी के खातेदारी अधिकार में उक्त चाह का इन्द्राज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.8.2013 को वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अलोटमेण्ट ऑफ लैण्ड फोर डिगिंग वेल्स एण्ड इन्सटालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरीगेशन परपजेज नियम 197 के नियम 12 ए के तहत ग्राम पोटला में स्थित साबिक आराजी नम्बर 3773 मीन में से 5 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी की हैसियत से दिनांक 15.6.93 को चाह निर्माण हेतु आवंटित की गई। जिसका नियमन शुल्क भी अपीलार्थी द्वारा राजकोष में जमा दिये हैं ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2042 से 2045 में दिनांक 30.12.93 को अंकन किया गया था। उक्त आवंटन गैर खातेदारी अधिकार सहित 10 वर्ष के लिए किया गया है। 10 वर्ष की अवधि गुजर गई है इसलिए अपीलार्थी स्वतः ही उक्त उक्त आंवटित चाह की भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादी ने लाखों रूपये लगाकर कुए को पक्का बंधवाया है एवं उक्त कुए से अपने खेतों की पिलाई हेतु पाईप लाईन बिछवाई है। उक्त कुए का उपयोग अपीलार्थी आवंटन के समय से ही करता आ रहा है। इस संबंध में सिविल न्यायालय गंगापुर द्वारा भी अपीलार्थी के पक्ष में एवं राज्य सरकार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया था। जिसकी अपील राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर खारिज की गई। सिविल न्यायालय का निर्णय भी अपीलार्थी के पक्ष में है। अतः अपीलार्थी को किया गया आवंटन आज भी यथावत है । धारा 12 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस धारा के तहत किये गये आवंटन से भूमि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात उक्त व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। आवंटन आज तक निरस्त नहीं किया गया है। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के उक्त आवंटित 5 बिस्वा भूमि जिसके नवीन नम्बर बन्दोबस्त में आराजी नम्बर 6615 रकबा 6 एयर कायम किये गये उसे राजस्व अभिलेख में बिलानाम दर्ज किया गया है। जो सर्वथा विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आता चाह का अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का आता चाह हेतु आवंटन 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। उक्त अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त आवंटन आवंटन नियमों के तहत नहीं किया जाकर सशर्त 10 वर्ष के लीज पर ही किया गया है। अतः अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

5. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अलोटमेण्ट ऑफ लैण्ड फोर डिगिंग वेल्स एण्ड इन्सटालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरीगेशन परपजेज नियम 197 के नियम 12 ए के तहत ग्राम पोटला में स्थित साबिक आराजी नम्बर 3773 मीन में से 5 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी की हैसियत से दिनांक 15.6.93 को चाह निर्माण हेतु आवंटित की गई। उक्त आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया ह कि प्रार्थी से प्रति वर्ष 24/—रूपये दस वर्ष तक लीज रेण्ट जमा करवाया जावे एवं पन्द्रह योम में लीजडीड सम्पादित कराई जावे। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन लीज पर मात्र 10 वर्ष के लिए रेण्ट पर दी गई थी। जिसके खातेदारी अधिकार अपीलार्थी को नहीं दिये जा सकते हैं। जहॉ तक सिविल न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है । उक्त आदेश द्वारा वादग्रस्त भूमि के नियमितिकरण के आदेश पारित नहीं किये गये है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया है । जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.8.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 27.6.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 268 / 2013

उनवान

1. भैरू लाल पिता हरलाल जाट निवासी पोटला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट / वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 132 / 2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.8.2013

अभिभाषक : 1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 268 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड़िक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 27.6.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल बापना वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश सेनी की उपस्थिति . मे दिनांक 27.6.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.8.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.6.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड़िक्री जारी की जाती है।

27/6/18
(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस